कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला बीजापुर (छ0ग0)

क्र/ 267 /मु0चि0अ0 /DMF/2017 बीजापुर दिनांक 29/05 /2017

// विज्ञप्ति //

Walk in Interview

जिले के अधीन संचालित विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मातृत्व शिशु स्वास्थ्य संस्थान तथा जिला चिकित्सालय में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला खनिज न्यास निधि से स्टॉफ निधि से की नियुक्ति करने व मैदानी क्षेत्रों में पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद रिक्त होने के कारण संविदा आधार पर 89 कार्य दिवस हेतु रोस्टर का पालन करते हुए संविदा भर्ती इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों का Walk in Interview पदनाम के सम्मूख दर्शित तिथि को आयोजित किया जावेगा। इच्छुक एवं पात्र अर्हताधारी अभ्यर्थी निर्धारित एवं वांछित दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित हो सकते हैं। रिक्त संविदा पदों का विवरण निम्नानुसार है –

No.	Post name	Salary (in Rs.)	No. of Vacant post	Educational Qualification	Walk in interview Date
01	Staff Nurse	14784/-	**Total post - 50** **UR- 02** **OBC-07** **SC-03** **ST-38**	BSC. Nursing OR GNM Course Passed & Live Registrastion in CG Nursing council.	**14-06-2017**
02	R.H.O. (M.P.W.)	10000/-	**Total post - 52** **UR- 02** **OBC-07** **SC-03** **ST-40**	10+2 (Biology) M.P.W. Traning Passed & Live Registrastion in CG Paramedical council.	**15-06-2017**

नोट :–विज्ञापन का प्रारूप एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश जिले की वेबसाइट **cg.gov.in/bijapur** में उपलब्ध है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बीजापुर (छ0ग0)

नियम शर्ते एवं चयन प्रक्रिया :–

1- उक्त पद के लिए शैक्षणिक योग्यता का 60% ,कौशल परीक्षा 30% एवं अनुभव 10% (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 5 वर्ष) के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा।

2- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ0ग0 द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2014 के नियमों के अनुरूप किया जावेगा।

3- उक्त पदो के पर 89 दिवस वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति दी जावेगी। कार्य संतोषप्रद होने पर पृथक से सेवा वृद्वि की जावेगी एवं मानदेय एकमुश्त देय होगा।

4- बीजापुर जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी तथा जिले के मूल निवासी उपलब्ध नही होने की स्थिति में संभाग स्तरीय अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

5- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र एवं उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6- उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतिक्षा सूची भी जारी की जावेगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने जो पहले से हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतिक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

7- नियुक्ति शर्तो में शिथलीकरण का अधिकार जिला चयन समिति को होगा।

8- आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त अंक सूची एवं अन्य दस्तावेज स्वंय के द्वारा सत्यापित हों संलग्न करना अनिवार्य है।

9- सभी दस्तावेजों की मूलप्रति लाना अनिवार्य है।

10-आवेदन शुल्क विकलांग/अ0जा/अ0ज0जा0 एवं महिला हेतु 200/– रूपये एवं अ0पि0व0, अनारक्षित पुरूष हेतु 400/– रूपये निर्धारित है। जो कि डी0डी0 के माध्यम से **जिला स्वास्थ्य समिति बीजापुर** के नाम देय होगा।

11-आवेदन शुल्क डी0डी0 के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर साथ लाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

12-प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तयों में घटाया बढ़ाया जा सकता है। या निरस्त भी किया जा सकता है।

13-आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नही होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।

14-चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

15-भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिला स्वास्थ्य चयन समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

16-शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था एवं निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उन संस्थाओं के नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा आवेदन विचारणीय नही होगा।

17-आवश्यकतानुसार परीक्षा जिला मुख्यालय में ली जावेगी। जिसमें शामिल होने के लिये अभ्यार्थियों को कोई व्यय का भुगतान नही किया जायेगा।

18- चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् कार्य संतोषप्रद नहीं होने एवं कदाचार में लिप्त रहने पर किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यार्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।

19- संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी का Perfomance Appraisal नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

20- नियमानुसार निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिकों/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

21- चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नही किया जावेगा।

22- उम्मीद्वार की आयु 01.04.2017 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होनी चाहिये, शासन द्वारा समय–समय पर आयु सीमा में दी गई छुट का प्रावधान होगा।

फार्म प्राप्ति/वितरण का समय

प्रातः :– 10:30 बजे से 12:00 बजे तक।

फार्म जमा करने का समय।

प्रातः :– 10:30 बजे से 12:30 बजे तक।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– बीजापुर(छ0ग0)